

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के निमित्त आवेदन-पत्र

(40 वर्ष से 64 वर्ष के बी०पी०एल० परिवार की विधवाओं हेतु)

फार्म सं० I.G.N.W.P.S. - 1

जिला - गढ़वा

अनुमंडल

प्रखण्ड.....

1. आवेदिका का नाम :-
2. पति का नाम :- ईपिक नं०.....
3. पूरा पता :- ग्राम/मुहल्ला..... पंचायत डाकघर
पिन कोड नं०..... प्रखण्ड..... अनुमंडल..... जिला-गढ़वा।
4. आयु (आवेदन-पत्र देने के दिन) :-.....
5. बी०पी०एल०नं०/वर्ष (2002) :- नजदीकी बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम.....
6. आवेदिका का पहचान चिन्ह :-
7. कोटि :-
 1. अनुसूचित जाति
 2. अनुसूचित जन-जाति
 3. पिछड़ी जाति
 4. सामान्य :-
8. मैं घोषणा करती हूँ कि :-
 - (1) मुझे राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य सरकारी लाभकारी योजना से लाभान्वित नहीं किया गया है।
 - (2) मैं मूलतः झारखण्ड राज्य का निवासी हूँ तथा मैं यहाँ तीन वर्षों से अधिक समय से रह रही हूँ तथा मैं बी०पी०एल० के अन्तर्गत आती हूँ।
 - (3) इस आवेदन-पत्र में दी गई सूचनाएँ सत्य और मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं।

स्थान :-

तिथि :-

आवेदिका का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान

प्रपत्र फार्म सं० I.G.N.W.P.S. - 2

कॉडिका (1 से 4 तक जाँच दल द्वारा भरा जायेगा)
विधवा पेंशन के निमित्त आवेदन-पत्रों का जाँच पत्रक

1. क्रम संख्या..... आवेदन-पत्र प्राप्ति की तिथि.....
2. आवेदिका का नाम :-
3. पति का नाम :- बी०पी०एल० सं०..... कोटि :- SC/ST/BC/GEN
4. पता :- ग्राम/मुहल्ला..... ग्राम पंचायत डाकघर
पिन कोड नं०..... प्रखण्ड..... अनुमंडल..... जिला-गढ़वा
5. जाँचोपरान्त नियमानुकूल पाकर अग्रसारित करने वाले पदाधिकारी का अनुशंसा :-
6. आवेदन-पत्र भेजने की तिथि :- प्रखंड विकास पदाधिकारी

आवेदन-पत्र स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी का आदेश

लेखा संख्या एवं वर्ष.....

स्वीकृत/अस्वीकृत

अनुमंडल पदाधिकारी